08-04-2023 राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण खारिजी आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण खारिजी हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मामले की रिपोर्ट फरियादी अनिता यादव द्वारा थाना मोतीनगर के अपराध क्रमांक 788/18 में इस आशय की लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.10.18 को शाम के 6.0 बजे सभी लोग घर पर ही थे तभी मेरी बच्ची नीलू उर्फ आस्था घर से कहीं चली गयी थी जो अपनी बच्ची को आसपास एवं रिश्तेदारी में में पता किया, जो कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला–फुसलाकर भगा ले गया है।

प्रकरण में फरियादी अनिता यादव द्वारा खारिजी कथन के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्ष 2018 में उसकी बच्ची आस्था उर्फ नीलू कहीं चले गयी थी, जिसे ढूढने पर भी वह नहीं मिली उसे कोई अज्ञात बहला फुसलाकर ले जाने पर उसके द्वारा थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। पश्चात में आस्था उर्फ नीलू मिल गयी थी जो अपनी मर्जी से गयी थी उसे किसी ने बहलाया या फुसलाया नहीं था, उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया गया। वह पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है।

केस डायरी के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है। पश्चात में नीलू उर्फ आस्था यादव जिसने अपनी मर्जी से अपनी सहेली के घर जाना बताया है। फरियादी ने पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट होना बताया तथा उसको कोई बहला फुसलाकर नहीं ले गया था तथा उनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ इस संबंध में भी कथन किया है। यह कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अपराध बनना प्रतीत नहीं होता हैं अतः इन परिस्थितियों में खारिजी स्वीकार किया जाता है।

केस डायरी वापस लौटाई जावे।

अंतिम प्रतिवेदन की एक छायाप्रति आदेश पत्रिका के साथ संलग्न की जावे।

प्रकरण पंजी से कम होकर विधिवत अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागर म0प्र0